


5/01/2022

अपीलान्ट मय वकील उपस्थित। वकील अपीलान्ट
 ने पार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि
 इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं,
 अपील विद्रो करना चाहते हैं। अतः
 अपीलान्ट के पार्थना-पत्र के आधार
 पर अपीलान्ट की यह नामान्तरकरण
 अपील अन्तर्गत धारा 75 L.R. Act
 विरुद्ध रेसपोन्डेंट जरिये विद्रो श्वारी
 की जाती हैं। पत्रावली फंसल न्यूमर खेबर
 नम्बर से कम है, बाद तक मिल जायता
 हाथिल दफ्तर है।


 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) रानी



आवक संशाल के

विशेष